सिद्धार्थनगर पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 29-08-2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस लाइन्स में शुक्रवार परेड की सलामी ली गयी तथा परेड के दौरान पुलिस कर्मियों/रिक्रूट आरक्षियों को शारीरिक रुप से फिट रहने हेतु दौड़ तथा अनुशासन व एकरुपता के लिए टोलीवार ड्रिल कराई गयी व विभिन्न शाखाओं में निरीक्षण कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

आज दिनांक 29-08-2025 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थगर डॉ. अभिषेक महाजन द्वारा पुलिस लाइन के परेड ग्राउण्ड में साप्ताहिक शुक्रवार परेड की सलामी ली गयी तथा परेड का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के पश्चात पुलिस कर्मियों/रिक्रुट आरक्षियों को शारीरिक रुप से फिट रहने हेतु दौड़ लगवाई गई व परेड के दौरान अनुशासन व एकरुपता के लिए टोलीवार ड्रिल कराई गयी तथा परिसर में स्थित क्वार्टर गार्द, मेस, परिवहन शाखा,बैरक व जेटीसी में मूलभूत सुविधाओं की रख रखाव व पुलिस लाइन परिसर की बेहतर साफ-सफाई हेतु प्रतिसार निरीक्षक को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये । परेड के दौरान क्षेत्राधिकारी लाइन सहित लाइन्स के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

प्रेस नोट दिनांक 29-08-2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना भवानीगंज पुलिस द्वारा 01 नफर वारन्टी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के आदेशानुसार अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रशान्त कुमार प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी डुमरियागजं बृजेश कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण मे एवं थानाध्यक्ष हरिओम कुशवाहा के नेतृत्व में थाना भवानीगंज पुलिस द्वारा दण्डवाद संख्या 573/22 धारा 4/25 आर्मस एक्ट माननीय न्यायालय जे0एम0 डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित वारन्टी को आँज दिनांक 29.08.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार वारन्टी का विवरणः-

01.अरमान शाह पुत्र सफी मोहम्मद साकिन कंचनपुर थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01.उ0नि0 राममिलन सिह थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।

02.आरक्षी राजमणि थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 29-08-2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना जोगिया उदयपुर पुलिस द्वारा नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में वांछित एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया।

डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में एवं प्रशान्त कुमार प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में मयंक द्विवेदी क्षेत्राधिकारी बांसी जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में मीरा चौहान थानाध्यक्ष थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 151/2025 धारा 115(2), 351(3), 324(2), 65(1), 331(4) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(1)द, 3(2)5 एससी/एसटी में वांछित अभियुक्त अजय कुमार पुत्र राजकुमार साकिन गोनहा थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर को बहद ग्राम ककरही-गोनहा मार्ग पर कठही गांव के पास से आज दिनांक 29.08.2025 को गिरफ्तार किया गया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

01. अजय कुमार पुत्र राजकुमार साकिन गोनहा थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण---

01.मीरा चौहान थानाध्यक्ष थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर।
02.उ0नि0 अवधेश यादव थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर।
03.आऱक्षी विरेन्द्र यादव, विकास सिंह, विजय प्रजापति थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 29.08.2025 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆मिशन शक्ति फेज-05 कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण, शक्ति दीदी अभियान एवं साइबर अपराध सुरक्षा के क्रम में जनपद के थानों की महिला बीट पुलिस अधिकारी/शक्ति दीदी द्वारा महिलाओं/छात्राओं/बालिकाओं को किया गया जागरुक।

◆महिलाओं/बालिकाओं को विभिन्न उपयोगी हेल्पलाइन नम्बरों, शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, महिला हेल्प डेस्क व कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर व पम्पलेट वितरित कर किया जा रहा सशक्त।

डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "महिला सशक्तिकरण व महिलाओं के सुरक्षा एवं जागरूकता/ पिंक कोबरा (मिशन शक्ति) फेज-05 अभियान" के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 29.08.2025 को मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत जनपद के थानों पर नियुक्त महिला बीट पुलिस अधिकारी/शक्ति दीदी द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र की महिलाओं/ बालिकाओं/छात्राओं को सुरक्षा के सम्बन्ध मे जागरूक किया गया व ट्रैफिक नियम के बारे मे जानकारी दी गई तथा महिलाओं, बच्चों के साथ होने वाले अपराधों/साइबर अपराधो के प्रति तथा महिला सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा महिला सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने हेतु जारी हेल्प लाइन 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 112 पुलिस हेल्प लाइन, 1098 चाईल्ड लाइन के सम्बन्ध में जानकारी दी गई। इसके साथ-साथ छात्राओं को निर्भीक होकर शिक्षित एवम् सक्षम बनकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 29-08-2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन ने जनता दर्शन में आये फरियादियों की समस्याएं/शिकायतों को सुना।

आज दिनांक 29.08.2025 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन द्वारा पुलिस कार्यालय मे जनसुनवाई किया गया । जनसुनवाई मे कुल 09 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये जिसमे 01 भूमि विवाद व 03 मारपीट तथा शेष 05 अन्य विवाद से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र थें । प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु संबंधित को आदेशित किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 29-08-2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆जनपदीय पुलिस द्वारा जनपद में त्यौहार वारावफात तथा विश्वकर्मा पूजा के दृष्टिगत व शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने-अपने सर्किल/थाना क्षेत्रो में पड़ने वाले चिन्हित हाट स्पॉट व उसके आस-पास के क्षेत्रों में पैदल गश्त/चेकिंग किया गया।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में आज दिनांक 29.08.2025 को जनपद के क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष द्वारा त्यौहार वारावफात, अनन्त चतुर्दशी तथा विश्वकर्मा पूजा के दृष्टिगत व शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने-अपने सर्किल/थाना क्षेत्रो में पड़ने वाले चिन्हित हाट स्पॉट व उसके आस-पास के क्षेत्रों में पड़ने वाले भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गश्त/चेकिंग किया गया। आमजनमानस में सुरक्षा का एहसास कराते हुये जनसंवाद स्थापित किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 29-08-2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना डुमरियागंज पुलिस की प्रभावी पैरवी से आपराधिक अतिचार करने के 03 आरोपियों को जेल में बिताई गयी अवधि की सजा व ₹ 5,00-5,00/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 28-08-2025 को वाद सं0 702245/2002 मु0अ0सं0 102/1995 धारा-447 भादवि0 थाना डुमरियागंज में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश अनुभव कटियार न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्तगण 1-रामनरायन, 2-श्यामनरायन, 3-रामचरन पुत्रगण चिगन निवासीगण कोरई बनिया थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर को जेल में बिताई गयी अवधि की सजा व ₹ 5,00-5,00/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, संयुक्त निदेशक अभियोजन जयहिन्द त्रिपाठी तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी आदित्य यादव थाना डुमरियागंज का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट- दिनांक 29.08.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆क्षेत्राधिकारी बांसी द्वारा थाना शिवनगर डिड़ई का किया गया अर्दली रुम/अपराध समीक्षा गोष्ठी।

◆ सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश।

श्री मयंक द्विवेदी ,क्षेत्राधिकारी सर्किल बांसी द्वारा आज दिनांक 29.08.2025 को थाना शिवनगर डिड़ई पर अर्दली रुम/अपराध समीक्षा गोष्ठी कर कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी तथा प्रभारी निरीक्षक / विवेचकगण को आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गये। इस दौरान विवेचनाओं के निस्तारण, पुराने मामलों के निस्तारण, जनशिकायत द्वारा प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये गये। पैदल गश्त, साइबर अपराध के रोकथाम सम्बन्धी प्रचार-प्रसार, साक्ष्य के आधार पर विवेचनाओं का निस्तारण एवं अभियुक्तों के प्रति वैधानिक कार्यवाही, निरोधात्मक कार्यवाही में गुण्डा अधिनियम, गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने आदि बिन्दुओं पर निर्देश दिया गया। उक्त गोष्ठी के दौरान मनोज कुमार श्रीवास्तव, प्रभारी निरीक्षक शिवनगर डिड़ई एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

प्रेस नोट- दिनांक 29.08.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆यातायात पुलिस द्वारा दो पहिया पर तीन सवारी/बिना हेलमेट वाहन चलाना, गलत दिशा मे वाहन चलाना,सड़को के किनारे अवैध अतिक्रमण हटवाने आदि के विरुद्ध कार्यवाही की गयी

आज दिनांक 29.08.2025 को पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर डा० अभिषेक महाजन के आदेश के अनुपालन के क्रम मे,अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर प्रशांत कुमार प्रसाद के निर्देशन मे, क्षेत्राधिकारी यातायात सुजीत कुमार राय के कुशल पर्यवेक्षण मे प्रभारी यातायात अमरेश कुमार मय टीम द्वारा साड़ी तिराहा,पावर हॉउस तिराहा,सिद्धार्थ तिराहा,पेट्रोल पम्प तिराहा एवं कस्बा बाँसी आदि स्थानों पर पी० ए० सिस्टम से आम जनमानस को जागरूक करने एवं रात्रि मे दुर्घटना से बचाव हेतु वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के साथ-साथ सड़को के किनारे अवैध रूप से खड़े बड़े वाहनों को जिनसे दुर्घटना की प्रबल संभावना/जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी उनका M. V. Act के तहत चालान कर हटवाया गया एवं दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी/बिना हेलमेट वाहन चलाने तथा चार वाहनों मे सीटबेल्ट का प्रयोग न करना,गलत दिशा मे वाहन चलाने वालो का चालान करने समेत कुल 57 वाहनों का चालान करते हुए 74500/- रूपये शमन शुल्क की कार्यवाही करते हुए प्रत्येक दशा मे यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओ की संख्या मे भारी कमी लायी जा सके।